Topic — STATUS OF WOMEN. (नारी की स्थिति)

Sol- भारत में सैद्धान्तिक रूप से आज भी, और हमेशा से ही नारी की मर्यादा है और उसका आदर हुआ है। कहा जाता है कि समाज में नारी का स्थान और मर्यादा वही है जो पुरुष की है - न कम और न अधिक। हिन्दू आदर्श के अनुसार, स्त्रियाँ अर्द्धांगिनी कही गई हैं। हिन्दू समाज में मातृत्व का आदर है। सर्वनियन्ता भगवान् की शक्तियों की लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली आदि नारी रूपों में ही वर्णन किया गया है। इस प्रकार नारी शक्ति ज्ञान और दान का प्रतीक मानी जाती है। वह हमारी राष्ट्रीयता का भी प्रतीक है। अपने देश को हम 'भारत महान' कहकर उसके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी व्यवहारिक रूप से विभिन्न कालों में भारत में स्त्रियों की स्थिति उठती और गिरती रही है। इसकी निम्नलिखित विवेचना इस प्रकार है:-

विभिन्न युगों में नारी की स्थिति (Status of Woman in Different Age) —

(1) वैदिक युग (Vedic Age) — सम्भवतः वैदिक युग हिन्दू समाज का स्वर्ण-युग था। इस युग में नारी की स्थिति न केवल अच्छी थी, बल्कि अत्यंत उन्नत थी। वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय स्त्रियों की स्थिति उनके आत्म विकास, शिक्षा, विवाह आदि के सम्बंध में प्रायः पुरुषों के समान थी। पत्नी के रूप में तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। घर में उसे 'रानी' की तरह रहने का उन्हें आशीर्वाद दिया जाता था। ऋग्वेद के अनुसार पत्नी ही घर है। महाभारत के कथनानुसार घर, घर नहीं यदि उस में पत्नी नहीं। गृहणीहीन घर 'जंगल' है। पूर्वमीमांसा का मत है कि पति-पत्नी दोनों सम्पत्ति के स्वामी होते हैं, अतः उन्हें संयुक्त रूप से यज्ञ करना चाहिए

Ajanta PRODUCTS Officer

अपत्नीक व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था।
वैदिक युग में लड़कियों की गतिशीलता पर कोई रोक नहीं था और नहीं मेल-मिलाप और शिक्षा प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबंध था। उस समय बहुपत्नी-विवाह अवश्य प्रचलित था, परन्तु स्त्रियों का आदर से रखा जाता था। विधवाओं का पुनर्विवाह के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रतिबंध नहीं था। विधवा अपने देवर या अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर सकती थी। वह सती भी हो सकती थी, यद्यपि सती-प्रथा का विशेष प्रचलन न था।

(2) उत्तर-वैदिक काल (Post vedic Age) — वैदिक युग में स्त्रियों की जो ऊँची स्थिति थी, वह अधिक समय तक स्थिर न रह सकी। धर्मसूत्रों में बाल-विवाह का निर्देश दिया गया जिससे कि स्त्रियों की शिक्षा में बाधा पहुँची और उनकी शिक्षा मामूली स्तर पर आ गई। चूँकि उन्हें पढ़ने-लिखने के अवसर प्राप्त न थे इस कारण वेदों का ज्ञान असम्भव हो गया। उनके लिए धार्मिक संस्कार में भाग लेने का मनाही हो गई। उनका प्रमुख कर्तव्य पति-आज्ञापालन हो गया। विवाह स्त्रियों पर निषेध जारी किया गया। बहुपत्नी-प्रथा का प्रचलन और बढ़ा।

(3) स्मृति युग (Smriti Age) — इस युग में स्त्रियों की स्थिति और भी गिर गई। उनका जो कुछ भी सम्मान इस युग में होता था, वह केवल माता के रूप में होता था, न कि पत्नी के रूप में। इस युग में विवाह की आयु घटाकर 12 या 13 वर्ष कर दी गई। विवाह की आयु घटने से शिक्षा न के बराबर हो गई। इस युग में स्त्रियों की सारी अधिकारों को अपहरण कर लिया गया। स्मृतिकारों ने यह निर्देश दिया गया कि स्त्रियों को किसी भी हालत में स्वतंत्र नहीं रखा जाय, बचपन में उन्हें पिता के संरक्षण में, जवानी में पति के संरक्षण में और बुढ़ापे में पुत्र के संरक्षण में रखना उचित होगा। स्त्रियों को परम कर्तव्य पति की सेवा माना जाता था, चाहे वह पति किसी भी प्रकार का हो। विधवाओं को पुनर्विवाह पर कठोर निषेध लगा दिए। सती होना सर्वोत्तम समझा गया।

(4) मध्यकालीन युग (Medieval Age) — इस युग में विशेषकर मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद, स्त्रियों की दशा और भी दयनीय हो गई। ब्राह्मणों ने हिन्दू धर्म की रक्षा, स्त्रियों के सतीत्व तथा रक्त की शुद्धता बनाये रखने के लिए सम्बन्ध में नियमों को और भी कठोर बना दिये गए। ऊँची जातियों स्त्री-शिक्षा प्रायः

समाप्त हो गई। पर्दा-प्रथा को और भी प्रोत्साहन मिला लड़कियों की विवाह की आयु 8-9 वर्ष रह गई। इसके फलस्वरूप बचपन से ही उनके ऊपर घर-गृहस्थी का भार लद गया। गृहस्थी ही उनके समस्त कर्म और आशाओं का एक मात्र केन्द्र हो गई। विधवाओं का पुनर्विवाह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और सती प्रथा तो इस समय चरम सीमा पर पहुँच गई। स्त्रियों की सतीत्व की रक्षा करने के लिए, इस युग में हिन्दुओं ने उन्हें जन्म से मृत्यु तक पुरुष के अधीन कर दिया और उनके समस्त अधिकार और स्वतंत्रता को छीन लिया।

इस युग में केवल स्त्रियों के सम्पत्ति पर अधिकार के सम्बन्ध में कुछ सुधार हुआ तथा विधवाओं को पति की सम्पत्ति पर कुछ अधिकार मिला। इसके अतिरिक्त जिन लड़कियों के भाई नहीं थे उन्हें भी अपने पिता की सम्पत्ति पर उत्तराधिकार मिलने लगा।

उपर्युक्त वर्णन में विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वह पूरी तरह सभी हिन्दुओं के लिए सही है, यह मान लेना सही उचित नहीं है। वास्तव में ये सभी बातें विशेषत: उच्च जातियों की स्थिति को ही अभिव्यक्त करती हैं, क्योंकि निम्न जातियों की जातियों की स्त्रियों की स्थिति सदैव ही उच्च जातियों की स्त्रियों की स्थिति से भिन्न रही है, जैसा कि आज भी देखने को मिलता है।

(5) आधुनिक युग (स्वतंत्रता के पूर्व तक) Modern Age Before independence.) — मध्यकालीन युगों में तो स्त्रियों की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी, पर आधुनिक समय में भी उनकी निर्योग्यताएं कम नहीं हुई, अर्थात उनकी स्थिति अधिक नहीं सुधरी। स्वतंत्रता-प्राप्ति तक भारतीय स्त्रियाँ जिन निर्योग्यताओं का शिकार थी, उसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है।

सामाजिक निर्योग्यताएं (Social disabilities) — सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में कुछ निर्योग्यताएं इस प्रकार हैं —

(1) शिक्षा (education) — भारतवर्ष में काफी समय से स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहा है। शिक्षा केवल नौकरी के लिए ही आवश्यक समझी जाती है और चूंकि स्त्रियों के अधिकार के लिए नौकरी करना अनुचित समझा जाता, अत: इनके लिए लिए शिक्षा की भी आवश्यकता नहीं समझी गई। बाल-विवाह और पर्दा-प्रथा, ये दोनों भी, इस युग में स्त्रियों की शिक्षा में घोर बाधक थे।

नौकरी (employment) — परम्परागत रूप में स्त्रियों का घर से बाहर काम करना पारिवारिक सम्मान के विरुद्ध समझा जाता है वे माता पहले हैं और उपार्जिका बाद में। स्वतंत्रता से पूर्व तक

iQOO Z9s 5G
10/10/2025, 10:55

तक स्त्रियों के बराबर ही नौकरी करते हुए देखी जा सकती थी।

(iii) सामिति और संघ (Association and union) — लड़कियों द्वारा सामिति और संघ बनाना एक नवीन कल्पना है। स्वतंत्रता-पूर्व तक इसे उचित नहीं समझा जाता था। स्त्रियों में शिक्षा का आभाव और पर्दा-प्रथा का अध्याधिक प्रचलन होने के कारण इसी प्रकार की सामिति या संघ का संगठन करना उनके लिए स्वप्न था।

(b) आर्थिक निर्योग्यताएं (economic disabilities) — सन 1937 से पहले स्त्रियों को सम्पत्ति के सम्बंध में कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में इनका अधिकार लेशमात्र भी नहीं था। अविवाहित कन्या का या संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में अधिकार नहीं था। पृथक् सम्पत्ति में उसका अधिकार लड़की और विधवाओं के बाद आता था। विवाहित स्त्री को स्त्रीधन के अतिरिक्त और किसी अन्य प्रकार के सम्पत्ति-सम्बंधी अधिकार व्यवहारिक रूप में नहीं थे।

(c) पारिवारिक निर्योग्यताएं (familial disabilities) — स्त्रियों अपने पारिवारिक जीवन के सम्बंध में भी अनेक प्रकार की निर्योग्यताएं का शिकार थी। माता के रूप में स्त्रियों की स्थिति परिवार में कुछ अच्छी थी और वह भी उन अवस्थाओं में यदि पति का देहान्त हुआ हो। विधवा माताओं की अवहेलना भारतीय परिवार की एक सामान्य विशेषता रही है। पत्नी के रूप में उनकी स्थिति काफी दयनीय थी। पुरुषों की दृष्टि में वे दासी थी और पति उन्हें मारना-पीटना तथा उनका अनादर करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। इसी प्रकार वधू के रूप में स्त्री की दशा पत्नी के समान ही दयनीय थी। सास-श्वसुर की सेवा करना उनका परम-कर्तव्य समझा जाता था। विधवा के रूप में चाहे वह विधवा हो, लड़की या माँ, स्त्रियों की बहुत दुर्गति परिवार में होती थी।

(d) राजनीतिक निर्योग्यताएं (Political disabilities) — सन् 1919 तक स्त्रियों को vote देने का अधिकार पूर्णतः प्राप्त नहीं था। 1919 की सुधार योजना में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्त्रियों को मताधिकार देने का प्रश्न भारतीय धारासद पर छोड़ दिया। 1935 के विधान (Act) में भी इस सम्बंध में कोई विशेष सुधार नहीं हुए और स्त्रियों को मताधिकार केवल उनकी शिक्षा, धन की स्थिति, सम्पत्ति आदि के आधार पर दिया गया।

समाप्त